स्थिति बनाए रखे [illegible] दिशा में जेसीबी से [illegible]
आराजी की उत्तरी दिशा में कंकरीट डालकर अवैध नाजायज कब्जा डालकार, ग्रेवल डालकर कंकरीट डालकर अवैध नाजायज कब्जा नहीं करे नहीं करावें तथा प्रार्थी को हकाई जुताई,फसल बुवाई करने में जबरन बाधा पेदा नहीं करे नहीं करावे। विपक्षीगणों को हुक्म ईम्तनाई चन्दरोजा जारी हो जिसकी प्रति विपक्षी को जरिए रजिस्टर्ड डाक भेजी जावे। आगामी पेशी तक रजिस्टर्ड तामिल पेश नहीं करने की स्थिति में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त मानी जावे। सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 39 नियम 3 की पूर्णतः पालना की जावें। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 03.06.2024 को पेश हो।

3/6/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। विपक्षी क्रमांक 1,2,3 की ओर से अधिवक्ता श्री आशाराम प्रजापत ने मूल वाद मे वकालतनामा पेश किया एवं प्रार्थना पत्र जवाब पेश किया। विपक्षी नकल वकील प्रार्थी को दिलाई गई। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 10/8/24 को पेश हो।

5/8/24 पत्रावली वकील प्रार्थी के आवेदन पत्र पर [illegible] की गई। मूल प्रकरण संख्या 64/2024 वाद दिनांक 5/8/24 को विड्रा हो चुका है इसलिए इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है। अतः प्रकरण इसी स्टेज पर विड्रा किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नकल [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:41:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner